10/15/03

इलीनॉई कोइलीशन फ़ॉर इमीग्रेन्ट एन्ड रिफ़्यूजी राइट्स

सार्वजनिक सहायता उन आप्रवासियों के लिए जिन के पास प्रमाण–प्रलेख नहीं है।

Public Assistance for Undocumented Immigrants (Hindi version)

मैं एक आप्रवासी हूँ जिसके पास प्रमाण–प्रलेख नहीं है ।

मैं किस प्रकार के सार्वजनिक लाभ प्राप्त कर सकता हूँ ?

यदि आप एक ऐसे आप्रवासी हैं जिसके पास प्रमाण–प्रलेख नहीं है, तो आप निम्नलिखित लाभों के योग्य हैं :

चिकित्सा

- आपातकाल मेडिकेड
- प्रसवपूर्व देखभाल
- प्रतिरक्षण एवं संक्रामक रोगों के लक्षणों के लिए जाँच एवं उपचार

भोजन

- महिलाओं, शिशुओं एवं बच्चों (WIC) के लिए अनुपूरक भोजन कार्यक्रम
- विद्यालय मध्यान्ह भोजन तथा अल्पाहार कार्यक्रम

शिक्षा

- K -12 शिक्षा
- तुरंत आरंभ

अन्य

- आपकी आय पर ध्यान दिए बिना सामुदायिक स्तर पर प्राप्त कराए जा रहे लाभ जिसमें घरेलू हिंसा, मानसिक स्वास्थ्य और पदार्थ दुरुपयोग सेवाएँ, आवासहीन आश्रय, सूप रसोईयाँ, एवं भोजन बैंक शामिल हैं ।

याद रखें, आप अपने नागरिक अथवा योग्य गैर–नागरिक बच्चे के लिए लाभ के लिए आवेदन कर सकते हैं । यदि आप केवल अपने बच्चे के लिए इन लाभों के लिए निवेदन कर रहे हैं तो आई डी एच एस केसवर्कर को आपके आप्रवासी स्तर के बारे में किसी प्रकार की सूचना पूछने के लिए मना किया गया है ।

क्या ऐसे किसी स्वास्थ्य कार्यक्रम में पंजीयन कराने से स्थाई प्रवास अथवा नागरिकता के लिए मेरे आवेदन पर कोई प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है ?

- नहीं ! आई एन एस ने मई 1999 में यह घोषणा की थी कि यदि आप या आपके परिवार का कोई सदस्य आपकी योग्यता के अनुसार कोई गैर–धन लाभ प्राप्त कर रहा है तो वे विधिसंगत स्थाई प्रवास के लिए किए गए किसी आवेदन को अस्वीकार *नहीं* करेंगे ।

- यदि आपने किसी के साथ कोई धोखा नहीं किया है तो आप्रवास सेवा आपके विधिसंगत स्थाई आप्रावासी बनने के लिए आपको सार्वजनिक सहायता वापस करने को नहीं कहेगा !

और अधिक जानकारी के लिए, इलीनॉई कोइलीशन फ़ार इमिग्रेन्ट एन्ड रिफ़्यूजी राइट्स को

(312) 332–7360; फ़ैक्स:(312) 332–7044 ; पर फ़ोन करें या info@icirr.org पर ईमेल करें